



2691

दस्तावेज़ - 2206704
2206710

नव देल्ही होम्स, 10 अशोक मार्ग, लक्ष्मीनगर 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रक : १९५३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
संखा में

दिनांक : १० अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद महाराजगंज।

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक वाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार पनराशि अवगुक्त कर दी गई है-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु. में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसी कोड	घनराशि
एचओएफओसी० बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	126.274 (घनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/बांड का नाम	प्रथम/ द्वितीय किश्त वी घनराशि का प्रेषण
1	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ०८ राजीव नगर में श्री रिकु दुबे के मकान से श्री दीनानाथ मिश्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.389
2	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० १४ लोहिया नगर में वी साईंड श्री चक्रील अंसारी के मकान से श्री किशोर प्रजापति के मकान अप०० ई०८८ एकिजट इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.201
3	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० १४ लोहिया नगर में नियर रामाधार कान्य स्कूल से श्री मुरारी और श्री नन्हे खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.152
4	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ११ आजाद नगर में श्री राजेश प्रसाद एडवोकेट से श्री विन्देश कन्नीजिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.322
5	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ११ आजाद नगर में श्री फौजदार हरीजन के मकान से श्री ओगप्रकाश विन्दुबाला के मकान होते हुये चिलहा रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.885
6	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ११ आजाद नगर में श्री सोलहु हरीजन के मकान से श्री पारस दिश्यकर्मी के मकान होते हुये श्री राम क्यास प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.793
7	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ११ आजाद नगर में श्री जयनरायन कन्नीजिया के मकान से श्री मौजी भास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.490
8	महाराजगंज	मलिन बस्ती-८३ बजट	न०पा०४०० महाराजगंज	बांड नं० ०८ राजीव नगर में फैनाल से श्री दीनानाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.536



269/2

दस्तावेज़ संख्या 2286719
2286710

नव घोषणा कम्ब. 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

सं. सं. नं.	जन्म वर्ष	निर्वाचनीय क्षेत्र	चर्चा/पूछे गए नाम	क्रम/दस्तावेज़ वितरण की कार्यालय क्रम
१	१९४७	नलिनी चौहान क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय के स्वाक्षर तथा श्री पठेल के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.214
२	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय के स्वाक्षर तथा श्री श्री रमाशंकर के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.432
३	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय के स्वाक्षर तथा श्री महावीर के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.893
४	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय के स्वाक्षर तथा श्री महावीर के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.009
५	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.575
६	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.134
७	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.038
८	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.618
९	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.093
१०	१९६१ जन्म वर्ष	पाठी क्षेत्र	बाई ५० वर्ष की उम्र में श्री विजय राहानी के स्वाक्षर तथा श्री इरोड़ा दुला के स्वाक्षर तथा इन्टरव्हाइवें रुक्क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.124

इन विवरों का एक अवृत्ति के दो वर्ष के बीच विकास विभाग द्वारा दिया गया अधिकारी के नियुक्ति का अनुदान दी गयी तरीका है।

इन विवरों का एक अवृत्ति के दो वर्ष के बीच विकास विभाग द्वारा दिया गया अधिकारी के नियुक्ति का अनुदान दी गयी तरीका है।

इन विवरों का एक अवृत्ति के दो वर्ष के बीच विकास विभाग द्वारा दिया गया अधिकारी के नियुक्ति का अनुदान दी गयी तरीका है।

इन विवरों का एक अवृत्ति के दो वर्ष के बीच विकास विभाग द्वारा दिया गया अधिकारी के नियुक्ति का अनुदान दी गयी तरीका है।

इन विवरों का एक अवृत्ति के दो वर्ष के बीच विकास विभाग द्वारा दिया गया अधिकारी के नियुक्ति का अनुदान दी गयी तरीका है।



२६/१३

दस्तावेज़ - 2296/09
2286710

नव चंडीगढ़ गांडा, 10 अमीरपुरा, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- ५- राज्यीय स्तर पर जो भी परियोजनाएँ या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित यी जाये एवं राज्य सरकार/राज्यीय विभि/नियम एवं पर्यावरणीय वायव्य के अन्तर्गत यदि कोई रवैकृत/अनापति अन्य विनागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवैकृत की मधी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविदानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करारे हुये किया जाये।
- ७- परियोजितियों के सूचन उपरान्त रामय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परियोजितियों के सूचन के पूर्व ही राज्यीय निकायों से तदाशय की राहमति ले ली जाये।
- ८- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये राज्य उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध लगायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण वो नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवगुप्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ९- उत्तर धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित नद में व्यय की जायेगी। एवं रवैकृत परियोजनानान्तर्गत कार्य फूल: इस प्रकार यहां जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय से पूर्ण हो जायें।
- १०- प्रश्नगत परियोजना में शुगतान के पूर्व ग्रामनिधम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य पिरिक प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- ११- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की नई है। फिसी प्रकार का व्यवहार अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम गें धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि को दैशवृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा वी स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- १२- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित करारे हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष नीतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(अमृत प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निर्माणित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, राज्यवित्त जनपद।
- अधिकारी अभियन्ता-सूडा।
- कम्युनिटी सेल/लेखा विभाग सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक